कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
4.10.22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरीकेन उपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी ने बहस मूल प्रा० पत्र हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जा मिसल दिनांक 14.10.22 को पेश हो ए.सी.ई.एम. (फा.क.) नवलगढ़	
14.10.22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरीकेन उपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी ने बहस प्रा० पत्र हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जा मिसल दिनांक 11.11.22 को पेश हो ए.सी.ई.एम. (फा.क.) नवलगढ़	
11.11.22 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। वकील आवेदक ने अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील आवेदक का कथन उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक को रिलीफ दिया जाना उचित है। अतः प्रा० पत्र में विवादित भूमि के संबंध में अनावेदकगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति कायम रखें। प्रा० पत्र निर्णय का अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। ए.सी.ई.एम. (का.द.) नवलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय,

नवलगढ़।

1. चौथमल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
2. जगदीश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
3. कमलेशकुमार पुत्र स्व. गणपतराम
4. सरस्वती देवी पत्नी स्व. श्री गणपतराम

जाति जांगिड़ (खाती) निवासीगण ग्राम भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान। मोबाईल नम्बर 9001659392

-- आवेदकगण

<u>बनाम</u>

1. मालाराम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर (फौत)

1/1 पवन पुत्र मालाराम जाति खाती निवासी भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/2 बबीता पुत्री मालाराम पत्नी श्री घासीराम जाति खाती निवासी भगेरा हाल आबाद पुलिस थाना के सामने गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

1/3 गंगाधर पुत्र मालाराम

1/4 मनोज पुत्र मालाराम

1/5 बसन्ती देवी पत्नी मालाराम

जाति खाती निवासीगण ग्राम भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

2. चिरंजीलाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
3. श्रवण पुत्र स्व. श्री नोरंग
4. सन्तरा पुत्री स्व. नोरंग

5. प्रभू पुत्री स्व. नोरंग

6. फुली पुत्री स्व. नोरंग

7. राकेश पुत्र स्व. गोकुलचन्द पौत्र देवा उर्फ रामदेवा

8. मनोज पुत्र स्व. गोकुलचन्द पौत्र देवा उर्फ रामदेवा

9. बिमला पत्नी स्व. गोकुलचन्द पौत्र देवा उर्फ रामदेवा

10. कजोड़मल पुत्र स्व. देवा उर्फ रामदेवा

11. सत्यपाल पुत्र स्व. देवा उर्फ रामदेवा

12. हरीराम पुत्र स्व. देवा उर्फ रामदेवा

13. जीकु पुत्री स्व. देवा उर्फ रामदेवा

14. बालाराम पुत्र नोपा

15. रामेश्वर पुत्र नोपा

16. राधेश्याम पुत्र नाथू

17. लोकेश पुत्र हीरालाल

18. सुरेन्द्र पुत्र धर्मचन्द

19. दलीप पुत्र धर्मचन्द

20. संजू पुत्र धर्मचन्द

21. मनोज पुत्र धर्मचन्द

22. सन्तरा देवी पत्नी धर्मचन्द

23. महिपाल पुत्र स्व. बालू

24. विधाधर पुत्र स्व. बालू

25. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. बालू

26. अशोक पुत्र स्व. बालू

27. सुनिता पुत्री स्व. बालू

28. संतोष पुत्री स्व. बालू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

29. मामचन्द पुत्र स्व. श्री रूपा

30. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री रूपा

जाति समस्त जांगिड़ (खाती) निवासी ग्राम भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

31. सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड़ नवलगढ़।

32. कनिष्ठ अभियन्ता , अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

33. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बडवासी जरिये शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

34. केनरा बैंक शाखा नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

35. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

36. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—— अनावेदकगण

<u>प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

महोदय,

संशोधित टाईटल श्रीमान की सेवा में पेश है।

अधि. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2

व धारा 151 जाब्ता दीवानी।

महोदय,

प्रार्थना पत्र आवेदकगण निचे लिखे अनुसार पेश है:-

1. यह कि आवेदकगण की ओर से एक दावा उनवानी "चौथमल बनाम मालाराम" बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। आवेदकगण का उक्त उनवानी वाद बहुत ही मजबुत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की पुरी पुरी सभावना व गुजाईश है।

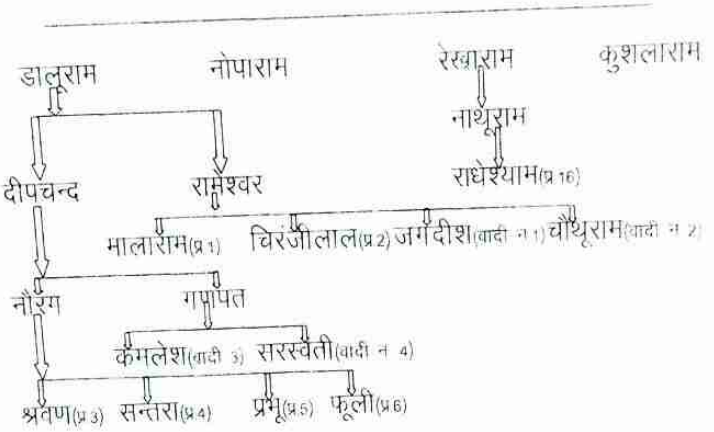

2. यह कि आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 31 एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं जिनकी वंशावली निचे लिखे अनुसार हैं:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

R.T.I. सरस्वती

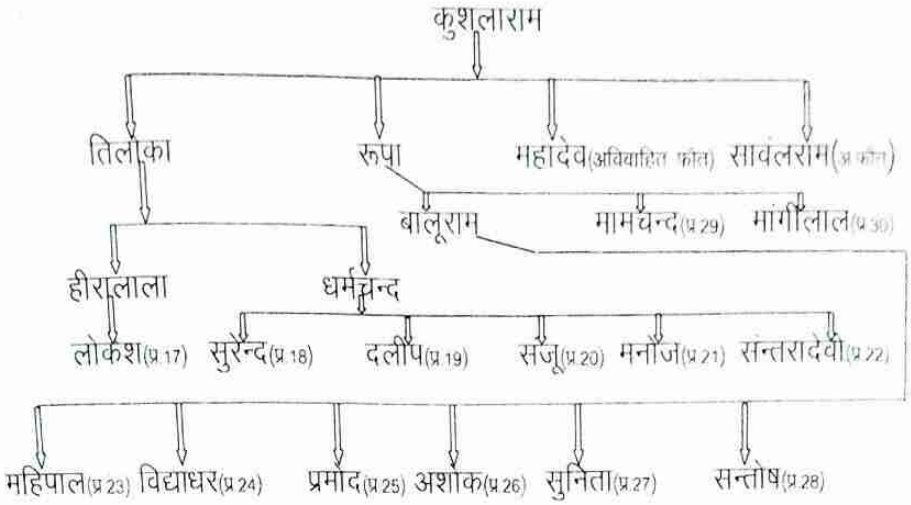

3. यह कि ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 136 की भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 1.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 1.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.0400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 73 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 5.30 हैक्टेयर स्थित है। जिसके आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 06 रिकॉर्डेड खातेदार है व भूमि को शामलाती रूप में काश्त करते हैं।

ग्राम भगेरा की सरहद में ही स्थित भूमि नया खाता संख्या 137 की भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, [illegible] खसरा नम्बर 190 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 0.1600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19[illegible] रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर स्थित हैं। जिसके आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 30 शामलाती खातेदार काश्तकार है तथा भूमि को शामिल में ही काश्त करते है। उपरोक्त समस्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि उक्त विवादित भूमि खाता संख्या नई 136 की भूमि खसरा नम्बर 72, 73, 14, 16, 18, 19 व इसमे बने ट्यूबवेल के 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार शामलाती रूप से आवेदकगण नम्बर 1 व 2 तथा अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 है, अर्थात 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादी संख्या 01 है, 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादी संख्या 02 है, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार अनावेदक संख्या 01 है तथा 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार अनावेदक संख्या 02 है और 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार आवेदकगण संख्या 3 व 4 शामलाती रूप से है और शेष 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 6 शामलाती रूप से है और काबिज है तथा भूमि को शामलाती रूप से काश्त करते हैं। भूमि खाता संख्या नई 137 के 1/32-1/32 हिस्से के शामलाती खातेदार काश्तकार क्रमशः आवेदकगण संख्या 01 व 02 है तथा 1/32-1/32 हिस्से के शामलाती खातेदार काश्तकार क्रमशः अनावेदकगण संख्या 01 व 02 है, तथा 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार आवेदकगण संख्या 3 व 4 शामलाती रूप से है तथा 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार अनावेदकगण संख्या 03 लगायत 06 शामलाती रूप से हैं और 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार अनावेदकगण संख्या 7 लगायत 15 शामलाती रूप से है तथा 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अनावेदक संख्या 16 है व शेष 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार अनावेदकगण संख्या 17 लगायत 30 शामलाती रूप से है तथा शामलाती रूप से काबिज है व काश्त करते हैं। कुछ रिकॉर्डेड खातेदारो का देहान्त हो चुका है जिनकी विरासत का नामान्तकरण अभी नही भरा गया है तथा भूमि नई खाता संख्या 137 मे समस्त ... के अलग अलग हिस्सो का विवरण भी ... पेश किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि भूमि नया खाता संख्या 137 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकारान गणपत पुत्र दीपचन्द उर्फ दयाराम, गोकलचन्द पुत्र देवा उर्फ रामदेवा, हीरालाल पुत्र नाथू व धर्मचन्द पुत्र तिलोका की पूर्व मे मृत्यु हो चुकी है जिनमें से मृतक गणपत के जायज वारिसान आवेदकगण संख्या 03 ...

R.T.I.

04 है, तथा गोकलचन्द पुत्र देवा उर्फ रामदेवा के वारिसान अनावेदकगण संख्या 7 लगायत 09 है, इसी प्रकार मृतक हिरालाल का विधिक वारिस अनावेदक संख्या 17 पक्षकार दावा बनाया गया है और मृतक धर्मचन्द के विधिक वारिसान अनावेदकगण संख्या 18 लगायत 22 है जिनको पक्षकार दावा बनाया गया है। भूमि नया खाता संख्या 137 के उक्त दर्जशुदा खातेदारान की मृत्यू होनें के पश्चात भी आज तक उनकी विरासत के नामान्तरण भरे जानें की कार्यवाही नही की गई है तथा मृतक खातेदार गणपत के पिता का सही और वास्तविक नाम दीपचन्द था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गलती से दीपचन्द के स्थान पर दयाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि मृतक खातेदार गणपत के नाम से बने समस्त दस्तावेजात में उसके पिता का नाम दीपचन्द दर्ज है जो सही और वास्तविक नाम है। इसलिए भीमृत खातेदारो के वारिसान की घोषणा करवानें के लिए और उनके अनग अलग हिस्सो की घोषणा करवाकर मृतक खातेदार गणपत के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के लिए रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जा चुका है।

6. यह कि उक्त सम्पुर्ण विवादित भूमि का आवेदकगण व अनावेदकगण के बीच आज तक विधिवत कोई विभाजन नही हुआ है और ना ही लगान का कोई बंटवारा किया गया है। आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3~~1~~0 उक्त विवादित भूमि के शामलाती खातेदार काश्तकार है आर काबिज हैं, परन्तु भूमि नई खाता संख्या 136 की भूमि खसरा नम्बर 14 में सिंचाई के लिए आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 नें शामलाती रूप से ही सन 2010 में एक ट्यूबवेल भी शामलाती खर्चा लगाकर खुदवाया था जो कि राजस्थ[illegible] की डार्कजोन सुची में भी आवेदकगण [illegible] शामलाती दर्ज है [illegible] नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा अपने हिस्सो के अनुसार शामलाती खर्चा [illegible]कर बनवाये गये शामलाती ट्यूबवेल पर अनावेदक नम्बर 03 ने अपने अकेले के नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बाला बाला विद्युत कनेक्शन की फाईल जमा करवा दी थी जिसकी बाबत आवेदकगण को कोई जानकारी नही थी परन्तु अब विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन करने की कार्यवाही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

जमा करवा दी थी जिसकी बाबत आवेदकगण को कोई जानकारी नही थी परन्तु अब विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन करने की कार्यवाही चालू की तथा पोल आदि रोपना चालू किया तो आवेदकगण को अनावेदक नम्बर 03 की इस नाजायज हरकत के बाबत सर्वप्रथम दिनॉक 12.11.2018 को पता चला जिस पर आवेदकगण नें परिवार के अन्य सदस्यो को इक्कठा कर अनावेदक संख्या 03 से बात की, तब प्रतिवादी नम्बर 03 ने आवेदकगण को राजी करनें के लिए यह कह दिया कि पोल वगैरह लगा देने दो, हम सभी के नाम से कनेक्शन करवाने की दुसरी फाईल जमा करवा देंगें और इस फाईल को निरस्त करवा लेंगे और कनेक्शन मे लगनें वाला खर्चा अपने अपने हिस्सो के अनुसार बांट लेंगे और सभी भाई मिलकर सिंचाई कर लेगें। अनावेदक नम्बर 03 द्वारा उपरोक्तानुसार गलत हरकत कर शामलाती ट्यूबवेल को अकेला हड़पने की कोशिश करने पर आवेदकगण नें विवादित भूमि को विधिवत विभाजन करवाने के लिए उसी रोज राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की और बंटवारा करवाने के लिए कानूनी सलाहकार से राय मशविरा करने लगें, परन्तु अनावेदक नम्बर 03 बहुत ही चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसनें अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को भी अपनें पक्ष में मिला लिया है और अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 3 ने साजिस के तहत उक्त शामलाती ट्यूबवेल पर अनावेदक सख्या 03 के नाम से उक्त अवधि मे विधुत कनेक्शन करवा लिया जिसका अनावेदकगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 03 से विवादित भूमि का विधिवत विभाजन करवाने की बात करने पर दिनॉक 29.11.2018 को अना... [illegible] ...कगण को ऐलानिया धमकी भी दी है कि रास्ते से ... [illegible] ... पर व इसमें बने शामलाती ट्यूबवेल ... [illegible] ... तथा विणिवत विभाजन क... [illegible] ...प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर 14 में बने शामलाती ट्यूबवेल प... [illegible] ...नावेदकगण नम्बर 31 व 32 द्वारा अनावेदक नम्बर 03 के अकेले के नाम से किये गये विधुत कनेक्शन में अनावेदक नम्बर 03 के साथ साथ आवेदकगण और अनावेदकगण नम्बर 1, 2, 4, 5 व 6 का नाम भी उपभेक्ता के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

शामलाती रूप से दर्ज करवाया जाकर उक्त विधुत कनेक्शन का रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के लिए भी दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

7. यह कि विवादित भूमि नई खाता संख्या 136 व 137 का राजस्व रिकॉर्ड खाता खतौनी शामलाती रूप से चला आ रहा है और विवादित सम्पुर्ण भूमि का आज तक कोई विधिवत विभाजन नहीं किया गया है और ना ही लगान का बटवारा किया गया है आवेदकगण कभी किसी दिशा मे और कभी किसी दिशा से अपने अपने हिस्से के अनुसार भूमि काश्त करते रहे है और कानूनन भी सयुक्त खातेदारी की सम्पुर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर बराबर कब्जा होना माना जाता है। खाता शामलाती रहने से खातेदारान को अपनें अपनें हिस्से की भूमि पर सरकारी सुविधा प्राप्त कर भूमि का विकास भी नही सकते है तथा खाता शामलाती रहने से लगान आदि जमा करवानें में भी भारी परेशानी होती है। इसलिए आवेदकगण उक्त भूमि विधिवत विभाजन करवाना चाहते है और लगान का बटवारा करवाना चाहते है ताकि सभी खातेदारान को बराबर–बराबर गुणवता की भूमि मिल सके ताकि भविष्य मे किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहे और प्रत्येक खातेदार अपनें–अपनें हिस्से में आनें वाली भूमि को अपनी सुविधा के अनुसार विकास कर सके और अलग अलग लगान आदि जमा करवा सके। जिसके लिए विभाजन का दावा पेश किया जा रहा है।

8. यह कि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 14 व 16 से उत्तरी तरफ गैर गुमकिन रास्ता स्थित है [illegible] का सम्पुर्ण भूमि में आने जाने के लिए [illegible] की कीमत अधिक होने व [illegible] आवेदकगण नम्बर 01 लगायत 06 द्वारा शामलाती खर्चे लगाकर बनाया गया शामलाती ट्यूबवेल स्थित है इसलिए अनावेदकगण सख्या 01 लगायत 3 नें आपस में साजिस कर शामलाती ट्यूबवेल और रास्ते से लगती भूमि खसरा नम्बर 14 व 16 पर जबरन अकेले कब्जा कर पुख्ता व खाम निर्माण करने पर आमादा है और शामलाती खातेदारी की भूमि के विशेष भू–भाग पर पुख्ता व खाम निर्माण कर जबरन कब्जा करना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

तथा कृषि भूमि को नाकाबिल काश्त बनाना चाहते है तथा भूमि मे से हरे पेड आदि काटकर भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करना चाहते है जिसका अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 03 को कोई कानूनी अधिकार नही हैं। आवेदकगण उक्त विवादित भूमि के सह–खातेदार काश्तकार है परन्तु अनावेदकगण लठ के जोर पर आवेदकगण को उनके हिस्से की भूमि काश्त नही करने देना चाहते है, जिनको न्यायालय के माध्यम से पाबन्द करवाने का आवेदकगण को पुर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

9. यह कि आवेदकगण उक्त विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा भूमि पर काबिज है आवेदकगण का प्रथम द्रष्ट्या मामला है, यदि दौराने दावा आवेदकगण को यदि विवादित भूमि को काश्त नही करने दिया जावेगा और किसी भी तरीके से यदि आवेदकगण को लठ के जोर पर बेखल कर दिया जावेगा तो आवेदकगण को अपुर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगा। आवेदकगण को हर साल की फसल के लिए व कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए दावे करने पडेगे जिससे न्यायालय व आवेदकगण के समय व धन की बर्बादी होगी और मुकदमेबाजी बढेगी। यदि आवेदकगण को आवेदकगण व अनावेदकगण के शामलाती खर्चे से बनी ट्युबवेल से पानी नही लेने दिया जावेगा तो आवेदकगण अपनी फसल की सिंचाई भी नही कर पायेगे जिससे आवेदकगण की फसली पैदावार पर भी नाकारात्मक असर पडेगा, कृषि ही आवेदकगण के जीवन यापन का मुख्य साधन हैं और [illegible] निश्चित भू भाग पर पुख्ता निर्माण कर लेंगे भूमि [illegible] नही रहेगी और तो निर्माण को तुडवा[illegible] भी निर्माण को तुडवाने [illegible] सुविधा का संतुलन भी आवेदकगणपर के पक्ष मे है। इसलिए अनावे[illegible]ण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन व न्यायहित मे आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि अनावेदकगण संख्या 34 लगायत 35 वित्तीय संस्थान है जिनसे विवादित भूमि के खातेदारान ने भूमि को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है जिसको चुकाने का दायित्व ऋण सहित व उसके हिस्से मे आने

वाली भूमि पर रहेगा। वितीय संस्थान को जानकारी के लिए पक्षकार दावा बनाया गया है तथा मौजुदा वाद में विभाजन की सिद्धी चाही गई है जिसके लिए राजस्थान सरकार बतौर लैण्ड हॉल्डर आवश्यक पक्षकार है इसलिए राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ अनावेदक संख्या 36 के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं, ताकि प्रार्थना पत्र में आईन्दा कोई नुक्स ना रहे।

11. यह कि प्रार्थना पत्र के लिए वाजिब कोर्ट फीस 2/- रूपये होती है अतः प्रार्थना पुर्ण कोर्ट फीस के साथ पेश हैं।

12. यह कि दावे के आधार ही इस प्रार्थना पत्र के आधार माने जावें।

13. यह कि अन्य उज्रात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवदन है कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 को ता:दौराने दावा इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित शामलाती खातेदारी की भूमि के किसी विशेष भू-भाग पर बिना विधिवत विभाजन कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करे और विवादित भूमि में शामलाती रूप से बने ट्यूबवेल से पानी लेने से व फसल की सिचाई करने से भी आवेदकगण को किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी भी परिवार रिश्तेदार या नौकर चाकर आदि से पैदा करवाये, और भूमि में से हरे पेड़ आदि काटकर भूमि को नाकाबिल काश्त नही करे और भूमि कोवेस्ट एण्ड डेमेज नही करे। आवेदकगण को अपने हिस्से की भूमि काश्त करने फसल काटने व लाटने में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करवाये।

दिनाँकः– 9.1.19

प्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

...त्र स्व. श्री रामेश्वर ...
3. ... पुत्र ... पतराम
... देवी पत्नी स्व श्री ... राम जाति जाट (खाती) निवासीगण ग्राम भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय,

नवलगढ़।

चौथमल आदि..........................बनाम.......................मालाराम आदि

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

शपथ पत्र

मैं कमलेश पुत्र स्व. श्री गणपतराम जाति जांगिड निवासी ग्राम बघेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूँ राज्य राजस्थान आज बमुकाम नवलगढ़ शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:–

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना–पत्र की धारा 1 लगायत 9 की सम्पूर्ण इबारत मेरी स्वयँ की निजी जानकारी के अनुसार तथा प्रार्थना पत्र की धारा 10 लगायत 13 की सम्पुर्ण इबारत मेरे कानूनी सालाकार की राय में सत्य व दुरूस्त रूप से दर्ज गई हैं।

2. यह कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र की धारा 1 लगायत 13 की सम्पूर्ण इबारत मे मेरी जानकारीनुसार तथा मेरे कानूनी सलाहकार की राय के अनुसार सत्य व दुरूस्त रूप से दर्ज किया गया है, किसी भी तथ्य को गलत रूप से दर्ज नही किया गया है तथा नाहिं किसी भी तथ्य को छिपाया गया है।

3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सम्पूर्ण इबारत मे दर्ज सम्पूर्ण तथ्यों को इस शपथ पत्र के तथ्य भी माने जाकर शपथ पत्र के साथ ही पढे और समझे जावें।

दिनाँक:– 9.1.19

तस्दीक

मैं कमलेश पुत्र स्व. श्री [illegible] बघेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूँ राज्य [illegible] आज बमुकाम नवलगढ़ शपथ–पूर्वक [illegible] धारा 1 लगायत 3 की [illegible] के अनुसार सत्य व दुरूस्त [illegible] कार करता हूँ।

दिनाँक:– 9.1.19

Shyam Lal
9-1-19

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested